संख्या-72/2018/416/35-3-2018-1(39) /2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास मिशन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-31/2018/65/35-3-2018-1(40)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2018 में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पीलीभीत के लिये कौशल विकास मिशन हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धितशासनादेश संख्या-31/2018/65/35-3-2018-1(40)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2018 में लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के स्थान पर लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगत परिव्यय त्रुटिवश अंकित हो गया है । अत: उक्त के स्थान पर लेखाशीर्षक-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम अंकित एवं पढ़ा जाय है ।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-31/2018/65/35-3-2018-1(40)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-72/2018/416(1)/ 35-3-2018-1(39)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- **सचिव एवं निदेशक, कौशल विकास मिशन विभाग, उ0प्र0 शासन ।**
3- **मण्डलायुक्त,बरेली मण्डल।**
4- **महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी)इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।**
5- **निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
6- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
7- **कोषाधिकारी,पीलीभीत ।**
8- **वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।**
9- **उप निदेशक, (अर्थ एवं सख्या) बरेली मण्डल।**
10- **अर्थ एवं संख्याधिकारी,पीलीभीत ।**
11- **राज्य योजना आयोग-।**
12- **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।